भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2021
दिनांक 30 जुलाई, 2021 को उत्तर के लिए

पूर्ण शक्ति केंद्र

2021. श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया :

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या सरकार का विचार महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए देश में पूर्ण शक्ति केंद्र स्थापित करने का है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है;
(ग) देश में वर्तमान में कार्यरत ऐसे केंद्रों की जिला-वार संख्या क्या है;
(घ) क्या सरकार का विचार पंचायतों की मदद से देश में ऐसे और केंद्र खोलने का प्रस्ताव है;
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) इन केंद्रों में नियुक्त महिलाओं की संख्या कितनी है तथा इन केंद्रों के माध्यम से रोजगार के अवसर प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या कितनी है और महिलाओं को औसतन कितना भुगतान किया जाता है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (च) : पूर्ण शक्ति केंद्रों को पूर्ववर्ती राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन (एनएमईडब्ल्यू) स्कीम के अंतर्गत चयनित जिलों में प्रायोगिक तरीके से अनुमोदन प्रदान किया गया था । नवंबर, 2017 में महिला शक्ति केंद्र नाम की एक नई स्कीम की शुरूआत की गई थी जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन के पूर्ववर्ती घटकों अर्थात पूर्ण शक्ति केंद्र (जो कि 19 जिलों में कार्यरत था) और ग्रामीण अभिसरण तथा सुविधा सेवा (जो कि 53 जिलों में कार्यरत थी) को महिला शक्ति केंद्र स्कीम के अंतर्गत जिला स्तरीय महिला केंद्रों (डीएलसीडब्ल्यू) द्वारा बदल दिया गया था ।

किंतु, मंत्रालय ने इस वित्तीय वर्ष में महिला शक्ति केंद्र स्कीम को बंद करने का निर्णय लिया है और इससे, प्राप्त होने वाली सीख का लाभ उठाते हुए महिलाओं के सरंक्षण और सशक्तीकरण तथा इस संबंध में क्षमता निर्णय के लिए महिला सशक्तीकरण हेतु राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय महिला सशक्तीकरण केंद्रों, महिला हैल्पलाइनों, वन स्टॉप केंद्रों, बेटी बचाओ बेटी पढाओ आदि जैसे घटकों सहित महिलाओं की संरक्षा, सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए ''मिशन शक्ति'' नाम से एक नई तथा पहले से और भी अधिक व्यापक छत्रक स्कीम की शुरूआत करने का निर्णय लिया है ।

*****